

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 06/2020 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भंवरलाल बनाम मियल वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थीनी वकील – श्री जुगतसिंह सोढा

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

दिनांक – 17.08.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा सुकालिया में खेत खसरा सं. 1141/955 रकबा 18.00 बीघा, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी. नोटिस तलब किया गया। रजि.एडी. नोटिस जारी किये हुए पर्याप्त समय होने के बाद भी विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी ने उपरोक्त खसरों की सीमाज्ञान/पैमाईश की मौका फर्द पेश की। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा सुकालिया में खेत खसरा सं. 1141/955 रकबा 18.00 बीघा, पटवार क्षेत्र बीजराड़,, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कूटाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/

1126

दिनांक

17/08/2021

प्रार्थी :-

1. भंवरलाल पुत्र मोटाराम, जाति जाट
निवासी सुकालिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.मियल 2.वजा खान 3.सिका खान पि.
जाफर खान 4.वाय खान 5.भाई खान
6.मीरा खान 7.मोहमदा 8.सदरा पि. बच्चू
खान 9. अमानत पत्नि बच्चू खान 10.मिसरा
पत्नि फैजू खान 11.मोहम्मद रहीम पुत्र दीनू
जातियान मुसलमान, निवासी सुकालिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
12.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 06/2020

दिनांक : 17.08.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 1141/955 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/

1127 to 1130

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भंवरलाल
3. विप्रार्थीगण मियल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक

17/08/2021

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन